जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(विधि–शाखा)

झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम वाद सं0–**20/2020–21**(D.A.)

राज्य सरकार –बनाम–**संजय सिंह उर्फ जोजो**

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने अपने पत्रांकः–1107/डी0सी0बी0, दिनांकः–03.09.2021 के द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपराधकर्मी संजय सिंह उर्फ जोजो, पिता–शेरा सिंह, साकिन–न्यू टाटा लाईन, शेखर मैदान, थाना–सिदगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को थाना में हाजिरी देने के आदेश को विस्तारित किया जाय। झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम केस सं0–20/2020–21 (राज्य सरकार–बनाम–संजय सिंह उर्फ जोजो) में दिनांक 08.03.2021 को पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 3(3)(b)(i) के तहत अपराधकर्मी संजय सिंह उर्फ जोजो, पिता–शेरा सिंह, साकिन–न्यू टाटा लाईन, शेखर मैदान, थाना–सिदगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को आदेशित किया गया था कि वे दिनांक 15.03.2021 से 14.09.2021 प्रतिदिन संबंधित थाना में उपस्थिति दर्ज करायेंगे।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के प्रतिवेन से स्पष्ट है कि अपराधकर्मी संजय सिंह उर्फ जोजो, पिता–शेरा सिंह, साकिन–न्यू टाटा लाईन, शेखर मैदान, थाना–सिदगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एक पेशेवर एवं कुख्यात अपराधकर्मी है। ये उदण्ड एवं हिंसक प्रवृति का व्यक्ति है एवं अन्य कुख्यात अपराधकर्मियों से सॉठगॉठ कर आपाधिक घटनाओं में संलिप्त रह रहा है। इनकी गतिविधि संदिग्ध है, यह एक उभरता हुआ अपराधकर्मी है जो नये–नये लड़कों को प्रलोभन देकर अपने गैंग में शामिल कर अपराध को अंजाम देने के फिराक में है। इसके अपराधिक गतिविधि के कारण यहाँ की लोक–व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। इसके द्वारा किये गये अपराध भारतीय दण्ड संहिता की चेप्टर 16 एवं 17 में वर्णित है। इसके थाना हाजिर होने पर इस तरह की घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से कमी आती है, जो कि इसके असामाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है। स्पष्ट है कि संबंधित अपराधकर्मी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 (अंगीकृत) अधिनियम की धारा–3(1) (a) (b) के तहत विपक्षी पर कार्रवाई हेतु प्रर्याप्त आधार है। झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(3)(b)(i) के तहत दिनांक 08.03.2021 को निर्गत आदेश की तिथि विस्तारित करते हुए उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक **15.09.2021** से अगले छः माह अर्थात दिनांक **14.03.2022** तक प्रतिदिन संबंधित थाना में उपस्थिति दर्ज करायेंगे। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 (अंगीकृत) की धारा–7(1)(b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10,000.00 का बंधपत्र (with two surety) दिनांक **20.09.2021** तक दाखिल करेंगे कि वे समाज में good behaviour बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 (अंगीकृत) अधिनियम की धारा–7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जायेगी। अपरिहार्य परिस्थिति में अगर वे अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते हैं, तो इस हेतु अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

(लेखापित)

जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

..................2

ज्ञापांकः– 1704 (B) /विधि, दिनांकः– 14/9/2021.

प्रतिलिपिः– संजय सिंह उर्फ जोजो, पिता–शेरा सिंह, साकिन–न्यू टाटा लाईन, शेखर मैदान, थाना–सिदगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांकः– 1704 (B) /विधि, दिनांकः– 14/9/2021.

प्रतिलिपिः– वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/पुलिस अधीक्षक, (नगर) जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस उपाधीक्षक, (मु0–1), जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि–व्यवस्था, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– थाना प्रभारी, सिदगोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2023.01.24 19:03:24 +05:30
Location: 192.168.1.21